2019 / [illegible]

मु. सं. 48/13

[illegible] 212 [illegible]

1-10-19

वाद लिये से बाद जांच हेतु रजिस्टर होकर पेश हुआ
प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब हों। पत्रावली वास्ते जवाब
दि. 4.11.19 को पेश हों

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा

4-11-19 [illegible] आज वाद [illegible] सीमलवाड़ा की [illegible] के [illegible] दिनांक [illegible] के बीच इजाजत [illegible] में अधिकारों के [illegible] प्रार्थिक दावा [illegible] में [illegible] अधिकारों के [illegible] के लिये [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] प्राप्त [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] दि. 22-11-19 को [illegible] है।

28-11-19 [illegible] पेश हुई। [illegible] प्रार्थी [illegible]

Not Pyeto

[illegible] इस दरख्वास्त आगे [illegible] नहीं है। इसलिये [illegible] इसी दरख्वास्त पर आगे कार्यवाही नहीं चलेगी इसलिये [illegible] जाती है। [illegible] [illegible] हेतु [illegible] है तथा [illegible] मुकदमा [illegible] है।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Daulat Ram Choudhary
Date: 2019.11.29 18:20:47 IST
Reason: SelfAttested